दिनाक 09.02.2021	
प्रेस विज्ञप्ति–09/21	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, रेलवे उ0प्र0 को गुमशदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में तत्परता से गुणवत्तापरक समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय से निर्गत दिशा निर्देशो के क्रम में मुख्यतः निम्न दिशा निर्देश दिये गये ।

- गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं की सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाये। थानों पर नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को इस सम्बन्ध में और अधिक संवेदनशील बनाते हुये बिना बिलम्ब के विधिक तथा अग्रेतर कार्यवाही करायी जाये।
- विवेचना हेतु समस्त संज्ञानित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना तैयार की जाय, जिसका अनुमोदन सम्बन्धित राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाये। इस कार्य योजना में विवेचना सम्बन्धित सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाये।
- वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना स्तर से गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित की बरामदगी के अनावरत प्रयास किये जाये।
- इस प्रकार के प्रकरणो में अभियोग पंजीकृत होते ही संदिग्ध नम्बरों की सूची बनाकर सर्विलांस हेतु नियमानुसार लगाया जाय तथा इन नम्बरो के सर्विलांस का विश्लेषण राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाये।

- नामित अभियुक्तों से की गयी पूछतॉछ की वीडियो रिकार्डिंग, अभियुक्त का पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस टेस्ट विधि सम्मत कराया जाय और विधिक आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड पर लिया जाये।
- विवेचना प्रारम्भ होते ही गुमशुदा/अपहृत/व्यपहरित का हुलिया तथा अन्य सूचना एससीआरबी एवं एनसीआरबी को 24 घन्टे के अन्दर प्रेषित की जाय तथा दूरदर्शन तथा अन्य संचार माध्यमों से सूचना का प्रसार कराया जाय तथा महत्वपूर्ण समचार पत्रों व पम्पलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराकर नियमानुसार तलाश की कार्यवाही कराई जाये।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में गुमशुदा एवं अपहृत/व्यपहरित की सकुशल बरामदगी व विवेचनात्मक कार्यवाही का निरन्तर समीक्षा की जाये।
- आवश्यकतानुसार जनपदीय स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों में सहायता हेतु सम्बन्धित जनपद प्रभारी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला चाइल्ड हेल्प लाइन एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता अपने विवेक से ले सकते है।

जनपद बिजनौर/ थाना हल्दौर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08–02–2021 को थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा झालू से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2021 धारा 147/148/149/114/153ए/302/504/506 /120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट व धारा 66 आईटी एक्ट में वॉछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

आसिफ निवासी कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगीः–

01 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/ थाना अलीगंज

- **25 हजार व 15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09–02–2021 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंडोरा तिराहा से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुल्तान व 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जफर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भमौरा जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0—368/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से क्रमशः 25 हजार व 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—सुल्तान निवासी सिरोही थाना भमौर जनपद बरेली।

2—जफर निवासी कुड्डा थाना भमौरा जनपद बरेली।

जनपद अमरोहा/थाना नौगावा सादात

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08—02—2021 को थाना नौगावा सादात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस अड्डा अमरोहा से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0—06/2020 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नौगवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

आसिम निवासी फत्तेपुर थाना नखासा जनपद सम्भल।

जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी

• 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,

• 01 किलो 77 ग्राम, अवैध स्मैक (लगभग 02 करोड़ रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की बरामद

दिनांक 08.02.2021 की रात्रि थाना जनकपुरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान राकेश कैमिकल के पास से 03 मादक पदार्थ तस्कर 1—उस्मान 2—जावेद 3—सताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 किलो 77 ग्राम अवैध स्मैक (लगभग 02 करोड़ रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—उस्मान निवासी हाजीपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2—जावेद निवासी घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

3—सताब निवासी घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी:—

01 किलो 77 ग्राम अवैध स्मैक (लगभग 02 करोड़ रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)

एसटीएफः थाना राठ, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0—510/2020 धारा—147/148/149/323/302/307/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट अभियोग के दोहरे हत्याकाण्ड में वांछित व 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोशित कपिल राजपूत अपने 02 अन्य साथियों के साथ मय आला—कत्ल गिरफ्तार

दिनांक—08.02.2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना राठ, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0—510/2020 धारा—147/148/149/323/302/ 307/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट अभियोग के दोहरे हत्याकाण्ड में वांछित व 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी कपिल राजपूत को उसके 02 अन्य साथियों के साथ मय आला—कत्ल गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— कपिल राजपूत पुत्र राम सेवक राजपूत, निवासी ग्राम ददरी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

2— विपिन राजपूत पुत्र रामआसरे, निवासी ग्राम ददरी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

3— सुरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम पथनौडी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

बरामदगीः—

1— 01 अदद तमन्चा (315 बोर)।

2— 01 अदद तमन्चा आला—कत्ल (315 बोर)।

3— 07 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)।

4— 01 अदद जिन्दा कारतूस (7.3 प्रतिबन्धित बोर)।

5— 01 अदद आधार कार्ड

6— नकद 620/— रूपया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

बम्बा पुलिया, जलालपुर रोड़, सरसई गॉव, थाना राठ, जनपद हमीरपुर, दिनांक 08—02—2021 की रात्रि 22.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों /टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः—08.02.2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद हमीरपुर के थाना राठ क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि माह नवम्बर, 2020 में थाना राठ क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्या कांड में पंजीकृत मु0अ0सं0—510/2020 धारा—147/148/149/323/302/307/34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट का वांछित व 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी कपिल राजपूत उपरोक्त बम्बा पुलिया, जलालपुर रोड, सरसई गॉव, थाना राठ, हमीरपुर के पास आया हुआ है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करके निरीक्षक श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह, मु0आरक्षी प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी अजय सिंह यादव, रोहित सिंह, सुनील कुमार, उदय प्रताप सिंह की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछतांछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त कपिल राजपूत द्वारा बताया गया कि दिनांक— 03.11.2020 को सांयकाल में मैंने अपने भाई, पिता व परिवारीजनों के साथ मिलकर अपने गॉव के पूर्व प्रधान पृथ्वीराज यादव व उनके पुत्रों क्रमशः जितेन्द्र यादव और धीरेन्द्र यादव को अपने घर के पास तिरमुहानी पर घेरकर अवैध शस्त्रों से गोली मार दी थी, जिसमें पृथ्वीराज यादव व जीतेन्द्र यादव की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा धीरेन्द्र यादव गम्भीर रूप से घायल हो गया था, जो आज भी हास्पिटल में भर्ती होकर इलाज करा रहा है। मौके पर ही मैंने अपना तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस अपने दोस्त विपिन राजपूत को इस हिदायत के साथ दे दिया था कि इसे वह अपनी बुआ के लड़के सुरेन्द्र सिंह को दे दें तथा दोनों मिलकर इसे कहीं ठिकाने लगा दें। अभियुक्त कपिल राजपूत उपरोक्त ने यह भी बताया कि उक्त घटना में प्रयुक्त उपरोक्त 315 बोर तमन्चा व 05 अदद जिन्दा कारतूस मुझे विपिन व सुरेन्द्र सिंह ने यह कह कर उपलब्ध कराया था कि हत्या करने के बाद इसे वापस कर देना। विपिन अपनी बुआ के लड़के सुरेन्द्र के साथ ही उसके घर पर रहता है। इस पर आला—कत्ल की बरामदगी के आश्वासन पर एस0टी0एफ0 टीम अभियुक्त कपिल राजपूत को साथ

लेकर उसके बताए अनुसार ग्राम पथनौडी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर अभियुक्त विपिन राजपूत की बुआ के मकान पर पहुॅची, जहॉ एस0टी0एफ0 टीम को देखकर भाग रहे विपिन राजपूत को दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया व घर पर मौजूद सुरेन्द्र को भी पकड़ कर तथा दोनों की निशानदेही पर सुरेन्द्र के कमरे की टाड़ (लिण्टर) पर रखा हुआ एक तमन्चा 315 बोर (आला–कत्ल) व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्तों को मु0अ0सं0–510/2020 धारा–147/148/149/323/302/307 /34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में दाखिल किया गया है। बरामद अवैध शस्त्रों और कारतूसों के सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0–66/2021 धारा–3/7/25 आर्म्स एक्ट बनाम कपिल राजपूत व मु0अ0सं0–67/2021 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विपिन राजपूत तथा मु0अ0सं0– 68/2021 धारा–35 ए एक्ट बनाम सुरेन्द्र सिंह राजपूत पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही राठ पुलिस द्वारा की जा रही है।

कपिल राजपूत पुत्र राम सेवक राजपूत, निवासी ग्राम ददरी, थाना राठ, जनपद हमीरपुर का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	510/2020	147/148/149/323/302/307 /34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	राठ	हमीरपुर
2.	280/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	राठ	हमीरपुर
3.	264/2020	286 भादवि	राठ	हमीरपुर
4.	14/2019	147/148/149/323/504/506/307 भादवि	राठ	हमीरपुर
5.	291/2014	323/324/504/506 भादवि	राठ	हमीरपुर
6.	66/2021	3/7/25 आर्म्स एक्ट	राठ	हमीरपुर

अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

——————